

कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा

कमांक:प.17 ()राजस्व-III/ 328-34

दिनांक:- 10-2-2016

उपवन संरक्षक,
कोटा।

विषय :-बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा के पत्र कमांक 138-140 दिनांक 28-7-2015 से बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली 4 हैक्टर वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को दिये जाने हेतु निवेदन किया गया था। जिसके क्रम में उपखण्ड अधिकारी कोटा के पत्र कमांक 1148 दिनांक 18.12.2015 से बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाईन लाईन में आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि दिये जाने हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 पश्चिम की तरफ तथा साथ ही चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के सिवायचक ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि उत्तर की तरफ के निर्धारित चैकलिस्ट में प्रस्ताव प्राप्त किये गये। परीक्षारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली है तथा उक्त भूमि वन विभाग को देने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त क्रम में आप द्वारा भी पत्र कमांक एफ ()तक0/उवसं/2015-16/843 दिनांक 22.1.2016 से वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत मांदलिया, पं0स0 लाडपुरा द्वारा भी उक्त भूमि को वन विभाग को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रस्तावानुसार एवं आपकी सहमति तथा ग्राम पंचायत मांदलिया की अनापत्ति के आधार पर बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाईन लाईन में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम रानपुर, दौलतगंज, रोझडी, जगपुरा, बंधा, आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब, आनन्दपुरा, लखावा, रथकांकरा की 1.2971 है0 तथा ग्राम डोबडा, सारंगपुर, लक्ष्मीपुरा उर्फ कोलाना, कसार, श्यामपुरा, रानक्याखेडी, खानपुरिया, पचपाहडा, डोलिया, विजयपुरा, पाचनकुई, किशोरसागर, केवलनगर, आलनिया, पृथ्वीपुरा, किशनपुरा, जशपुरा, केशोपुरा, रोझला, मांडलगढ, बोराबास की 2.60874 व0मी0 कुल रकबा 4.00 है0 (सूची संलग्न) के बदले, राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि (पश्चिम की तरफ) को वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने की सहमति दी जाती है। तथा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि (उत्तर की तरफ) को चारागाह में परिवर्तित की जाती है। अतः बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन विभाग की भूमि में पाईप लाईन डाले जाने के कार्य हेतु शीघ्र वन भूमि नियमानुसार आवंटन करने का श्रम करें।

महोदय

जिला कलक्टर
कोटा

कमांक:प.17 ()राजस्व-III/ 328-34

दिनांक:- 10-2-2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- उपवन संरक्षक, कोटा।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत कोटा।
- 3- अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा को पत्र कमांक 138-140 दिनांक 28-7-2015 के क्रम में।
- 4- उपखण्ड अधिकारी, कोटा।
- 5- तहसीलदार, लाडपुरा।
- 6- ग्राम पंचायत मांदलिया, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा।
- 7- रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

क्रमांक:प.17 (17)राजस्व-III/ २३०

दिनांक

०१-२-२०१६

अधिषाषी अभियंता,
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
परियोजना खण्ड-प्रथम, कोटा।

विषय :-बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के समतुल्य भूमि वन विभाग को देने बाबत ।

प्रसंग :-उपखण्ड अधिकारी कोटा का पत्र क्रमांक राजस्व/आवंटन/15/1148
दिनांक 18.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र से बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाईन लाईन में आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि दिये जाने हेतु ग्राम जोधपुरा के ख०न० 407 रकबा 13.40 है० किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है० भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथा साथ ही चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के ख०न० 20 रकबा 4.65 है० किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है० भूमि उत्तर की तरफ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अतः बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख०न० 407 रकबा 13.40 है० किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है० भूमि के संबंध में अपने स्तर से प्रयास कर ग्राम पंचायत की अनापत्ति शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

अति० जिला कलक्टर,
कोटा

88

Land for Land

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

क्रमांक:प.17 (17)राजस्व-III / 3303-04

दिनांक

23-12-2015

तहसीलदार,
लाडपुरा।

विषय :-बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के समतुल्य भूमि वन विभाग को देने बाबत।


प्रसंग :-उपखण्ड अधिकारी कोटा का पत्र क्रमांक राजस्व/आवंटन/15/1148
दिनांक 18.12.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र से बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाईन लाईन में आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि दिये जाने हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथा साथ ही चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि उत्तर की तरफ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

अतः बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत की अनापत्ति भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय


अति० जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक:प.17 (17)राजस्व-III / 3303-04

दिनांक 23-12-2015

प्रतिलिपी :-उपखण्ड अधिकारी कोटा को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रस्तावित भूमि के क्रम में तहसीलदार लाडपुरा को अनापत्ति भिजवाये जाने हेतु निर्देशित करें।

भवदीय


अति० जिला कलक्टर,
कोटा

कार्यालय जिला कलक्टर कोटा

क्रमांक:प.१७ (१७)राजस्व-III / ३३०५-०६

दिनांक

२३-१२-२०१५

उपवन संरक्षक,
कोटा।

विषय :-बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के समतुल्य भूमि वन विभाग को देने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाईन लाईन में आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि दिये जाने हेतु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा ग्राम जोधपुरा के ख०न० ४०७ रकबा १३.४० है० किस्म भूमि चारागाह में से ४.०० है० भूमि के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। तथा साथ ही चारागाह भूमि की क्षातपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के ख०न० २० रकबा ४.६५ है० किस्म भूमि बंजड में से ४.०० है० भूमि उत्तर की तरफ के प्रस्ताव प्राप्त हुए है।

अतः बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख०न० ४०७ रकबा १३.४० है० किस्म भूमि चारागाह में से ४.०० है० भूमि के संबंध में अनापत्ति भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय

४ अति० जिला कलक्टर,
कोटा

क्रमांक:प.१७ (१७)राजस्व-III / ३३०५-०६

प्रतिलिपी :-ग्राम पंचायत मांदलिया तहसील लाडपुरा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रस्तावित भूमि के कम में अनापत्ति भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक २३-१२-२०१५

४ अति० जिला कलक्टर,
कोटा

कार्यालय ग्राम पंचायत मान्दलिया

पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा (राज.)

91

सरपंच
भरत सिंह
9784672739

क्रमांक CP2

दिनांक 5.12.2016

सेवार्थे

श्रीमान अति. जिला कलेक्टर महोदय
जिला कोटा (राज.)

विषय :- श्रीमान अति. जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक 3303
04 दिनांक 23-12-2015 की अनुपालना

संक्षेप

खैराबाद मंडल पेशजल परियोजना के अर्न्तगत
उपाने वाली वन भूमि के समतुल्य भूमि ग्राम जी.स.
ख. न. 407 रकबा 13,40 हे. में से किन्तु भूमि चार
से से 4.00 हे. (चार हेक्टर) भूमि वन विभाग को
दिने जाने पर ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति
नहीं है। प्रमाण सं. 1 दिनांक 5² 2016 की लेख कार्यावाही पर

सरपंच
ग्राम पंचायत मांदलिया
पं. स. लाडपुरा, कोटा

2067 - 2070
 2067
 2067

74

01/12/2015

1 of 3

क्र.सं.	वर्ग	वर्ग का नाम	वर्ग का मूल्य									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

131 122
 316 317 328 329 330 333 334 335 336 337 338 339 340 355 356 357 358 360 361 362 365 366 368 369 370 371 372

0.5800	वर्गगाह	0.5800	0.4200	वर्गगाह	0.4200	0.0300	वर्गगाह	0.0300	0.0900	वर्गगाह	0.0900	0.1400	वर्गगाह	0.1400	0.5200	वर्गगाह	0.5200	1.2000	वर्गगाह	1.2000	0.2200	वर्गगाह	0.2200	0.2100	वर्गगाह	0.2100	0.1800	वर्गगाह	0.1800	0.3400	वर्गगाह	0.3400	0.4100	वर्गगाह	0.4100	0.3000	वर्गगाह	0.3000	12.5100	वर्गगाह	12.5100	7.8400	वर्गगाह	7.8400	0.2800	वर्गगाह	0.2800	0.3500	वर्गगाह	0.3500	0.1700	वर्गगाह	0.1700	0.8900	वर्गगाह	0.8900	5.1900	वर्गगाह	5.1900	0.2500	वर्गगाह	0.2500	0.4800	वर्गगाह	0.4800	0.0800	वर्गगाह	0.0800	1.8100	वर्गगाह	1.8100	0.4100	वर्गगाह	0.4100	0.4400	वर्गगाह	0.4400	0.4200	वर्गगाह	0.4200
--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------

दिनांक : 01/12/2015
 पत्र संख्या : 206/2013
 पत्र संख्या : 2067

क्र.सं.	नाम	पता	वर्ग	क्षेत्रफल	मूल्य	व्याज	अन्य	कुल		टिप्पणी
								मूल्य	व्याज	
373	0.1300	0.1300	...	
374	0.9400	0.9400	...	
375	2.0700	2.0700	...	
376	0.9600	0.9600	...	
377	0.1700	0.1700	...	
382	0.2100	0.2100	...	
383	0.0600	0.0600	...	
384	0.8000	0.8000	...	
385	0.8900	0.8900	...	
391/483	0.1500	0.1500	...	
405	1.7700	1.7700	...	
406	1.9100	1.9100	...	
407	13.4000	13.4000	...	
408	5.8800	5.8800	...	
411	0.5600	0.5600	...	
412	0.0900	0.0900	...	
415	0.5300	0.5300	...	
416	0.2300	0.2300	...	

कुल क्षेत्रफल : 66.5100
 कुल मूल्य : 66.5100

यह पत्र संख्या 206/2013 तक के समस्त परिवर्तन समाप्त कर दिने का है।

पत्र संख्या 206/2013

जमावन्दी संख्या :- 2067
 तिथि :- 2070
 जमावन्दी संख्या :- 2067

जमावन्दी संख्या :- 2067
 तिथि :- 2070
 जमावन्दी संख्या :- 2067

क्र.सं.	वर्ग	वर्ग संख्या	वर्ग नाम	वर्ग संख्या														
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					

जमावन्दी संख्या :- 260319-16118
 जमावन्दी संख्या संख्या :- 01/12/2015

जमावन्दी संख्या संख्या
 जमावन्दी संख्या संख्या
 जमावन्दी संख्या संख्या

सकासना


गाँव - लोधापुरा

महल - लोधापुरा

जिला - कोटा (राजस्थान)

कॉड = 9262-6E

पैसा = 9 सैन्टीमीटर
= 80 मीटर



वे.एस.एस. (सहायक जमीन)

सहायक जमीन


 पटवार ~~...~~ 22/5/2011
 गा. लोधापुरा जिला कोटा


खसरा निरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम पिंथुवा तहसील साडपुरा जिला कोटा राजस्थान संवत् 20... से 20... तक

संवत् 20... के अनुसार प्रविष्टियाँ				संवत् 20... के अनुसार प्रविष्टियाँ				संवत् 20... के अनुसार प्रविष्टियाँ					
क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा		एक से अधिक बार क्षेत्रफल बोया गया		क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा		एक से अधिक बार क्षेत्रफल बोया गया		क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा		एक से अधिक बार क्षेत्रफल बोया गया		क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा	
खरीफ रसाव	रबी (उन्हाव)	खरीफ रसाव	रबी (उन्हाव)	खरीफ रसाव	रबी (उन्हाव)	खरीफ रसाव	रबी (उन्हाव)	खरीफ रसाव	रबी (उन्हाव)	खरीफ रसाव	रबी (उन्हाव)	खरीफ रसाव	रबी (उन्हाव)
18	फसल का नाम	19	सिंचित	20	असिंचित	21	फसल का नाम	22	सिंचित	23	असिंचित	24	सिंचित
25	असिंचित	26	न जाते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा	27	टिप्पणियाँ तथा अधिकारों, कब्जे, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन	28	फसल का नाम	29	सिंचित	30	असिंचित	31	फसल का नाम
32	सिंचित	33	असिंचित	34	सिंचित	35	असिंचित	36	न जाते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा	37	टिप्पणियाँ तथा अधिकारों, कब्जे, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन	38	फसल का नाम
44	सिंचित	45	असिंचित	46	न जाते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा	47	टिप्पणियाँ तथा अधिकारों, कब्जे, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन	48	टिप्पणियाँ				


 पटवारी
 पटवारि मण्डल
 नम साडपुरा जिला कोटा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 और 1963 के तहत निजी / स्वयंसेवी संस्थाओं / राजकीय कार्यालयों / संस्थाओं को सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण हेतु अनाधिवसित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन।

क्र.सं.	प्रस्ताव बिन्दु	विवरण / रिपोर्ट
1	प्रार्थी संस्था का नाम	श्री. वि. वि. प्रस्ताव
2	आवंटन का प्रयोजन	बौरावाण मण्डल (योजना)
3	संस्था को पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण यदि कोई हो।	श्री. वि. वि. प्रस्ताव
4	पूर्व में आवंटित भूमि का क्या उपयोग किया गया है।	नहीं
5	आवंटन हेतु चाही गयी भूमि का विवरण	नहीं
	(1) नाम तहसील (2) नाम ग्राम	लाडपुरा, ग्राम जायपुरा
	(3) खसरा नम्बर अंकित करें जमाबन्दी, खसरा व नक्शों की प्रति संलग्न करें।	20
	(4) किस्म भूमि	किस्म बजड राजकीय प्रयोजन
	(5) खसरा नं० का कुल क्षेत्रफल	4.65
	(6) प्रस्तावित क्षेत्रफल	4.00 ई. उत्तर दिशा
	(7) प्रस्तावित भूमि कमाण्ड क्षेत्र की अथवा नहीं? पटवाणी की मोकका रिपोर्ट संलग्न करें।	नहीं संलग्न है
6	यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :- (अ) पशु संख्या व पूर्व में कितनी चारागाह आवंटन की जा चुकी है (ब) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि। (स) क्या पशु संख्या के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है। (द) यदि नहीं तो चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिये क्या विकल्प हैं।	शिवापचक बजड 62.51 ई. पर्याप्त है
7	प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता पर टिप्पणी	प्रस्तावित है
8	राजस्थान भू-राजस्व नियम 1963 के नियम 2 तहत प्रस्तावित प्रयोजन हेतु अधिकतम आवंटन योग्य क्षेत्रफल।	नहीं
9	प्रस्तावित भूमि यदि इससे अधिक है तो अधिक भूमि के आवंटन के औचित्य पर टिप्पणी।	नहीं
10	प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विस्तृत परियोजना संलग्न है ?	नहीं
11	क्या प्रस्तावित भूमि नगर निगम/पालिका क्षेत्र/मास्टर प्लान क्षेत्र में स्थित है।	नहीं
12	नगरीय क्षेत्रों में स्थित होने पर नगर सीमा से दूरी।	नहीं
13	क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है ?	नहीं
14	क्या संस्था रजिस्ट्रार(सहकारी समिति) अथवा उबरधान विभाग द्वारा पंजीकृत है। या राजकीय विभाग/कार्यालय है।	राजकीय प्रयोजन
15	पंजीकरण क्रमांक एवं तिथि(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) विधान की प्रति संलग्न करें। कार्यक्षेत्र क्या है अंकित करें।	राजकीय प्रयोजन
16	क्या संस्था पंजीकरण के पश्चात से ही निरन्तर कार्यरत है।	राजकीय प्रयोजन
17	जिस प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है क्या वह संस्था के विधान में उल्लिखित उद्देश्यों के अन्तर्गत आता है।	राजकीय प्रयोजन
18	संस्था की वर्तमान गतिविधियों और पूर्व में किये गये कार्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी	राजकीय प्रयोजन
19	संस्था के विस्तृत स्रोत और जिस प्रयोजन के लिए भूमि चाही जा रही है उसे पूर्ण करने के लिए उपलब्ध वित्तीय साधनों / शोहरत पर टिप्पणी	राजकीय प्रयोजन
20	प्रस्तावित भूमि की सड़क मध्य से दूरी लाल रखाही से इंगित करते हुए अंकित करें व सड़क किस श्रेणी की है अंकित करें।	राजकीय सड़क से 400m दूर
21	इंडियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार दूरी छोड़ने पर कितनी भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त है।	4.00 ई.
22	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में तो नहीं है। यदि है तो श्रेणी अंकित करें।	नहीं
23	प्रस्तावित भूमि के कम में किसी प्रकार का विवाद हो या होने की संभावना हो तो अंकित करें।	नहीं
24	प्रस्तावित यदि चारागाह है तो उसकी क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव संलग्न करें व स्पष्ट करें कि उक्त ग्राम में पूर्व में कितनी चारागाह आवंटन की जा चुकी है।	नहीं
25	यदि स्कूल के प्रयोजन से आवंटन चाहा गया है तो क्या स्कूल मान्यता प्राप्त है ?	नहीं
26	भूमि की डी०एल०सी० दर व प्रचलित बाजार दर अंकित करें।	नहीं
27	क्या संस्था को रियायती दर पर भूमि आवंटन किया जाना है?	राजकीय प्रयोजन आवंटन
28	भूमि आवंटन वास्तु अपनी टिप्पणी / अनुशंसा स्पष्ट रूप से अंकित करें	राजकीय प्रयोजन आवंटन

हस्ता 0 पटवारी हल्का

 P. S. Singh

तहसील द्वा
 तहसीलदार लाडपुरा
 जिला कोटा

Page B

श्रीमान नरसीलाल खन्ना
नरसील - लखनऊ कोटा

~~विषय:-~~ गुरु गोबिंदपुरा के लखनऊ नं. 80 नं. 4.65 ई. फिल बंध विवाप चक्र
अनुसंधान
शुद्धि में 4.00 है। अनुसंधान चक्रागार में इन कले का प्रस्ताव है
प्रस्ताव:- श्रीमान का के निदेशानुसार


महोदय,

उपरोक्त विषय में विवेक है कि गुरु गोबिंदपुरा के लखनऊ नं. 80 नं.
4.65 ई. फिल बंध विवाप चक्र आरक्षित द्वारा 32 की शुद्धि में से 4.
अनुसंधान की चक्रागार शुद्धि में उक्त है प्रस्ताव नं. 100 फिल बंध विवाप चक्र
पहल पड़ी हुई है

अतः आरक्षित शुद्धि को चक्रागार में उक्त कले का
प्रस्ताव रखा गए है। श्रीमान का की कले में प्रस्ताव है।

6195
08/12/15

- 1- लखनऊ नरसील
- 2- लखनऊ नरसील
- 3- लखनऊ नरसील


क.स. साठस/15
8-12-15

प्रतिवेदन संख्या: 2067-2070
 तिथि: 2067-2070
 अनुसंधान संख्या: 2067
 अनुसंधान विभाग: 2067

दिनांक: 01/12/2015

पृष्ठ संख्या 1 of 2

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	मूल्य									
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

कुल मूल्य: 4,55,000

विवरण: 25 वें वार्षिक प्रतिवेदन

नाम: 318 - वि. वि. 31/12/2010 -
 अनुसंधान सं. सं. 33/031, 34/1, 19,
 27/0, 06, 28/0, 93, 29/0, 36 किलो
 5/2, 85 है. प्रति अनादी शम संशोधन
 मादलिया के नाम दर्ज हुई. प्रस्ता. प्रस्तादी
 नाम: सं. 324 - वि. वि. 31/12/2010 -
 व्यापक. आदेश सं. सं. 18 प्रस्ता 0, 80
 है. प्रति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय
 गोधपुरा के नाम के नाम में दर्ज
 हुआ है. प्रस्तादी
 नाम: सं. 325 - वि. वि. 31/12/2010 -
 व्यापक. आदेश सं. सं. 16/0, 93, 16/29, 78,
 19/2, 46, 20/4, 65, 25/0, 04, 26/0, 07,
 44/0, 23 कुल मूल्य 7 प्रस्ता 38, 16 है. प्रति
 आदेशित राजकीय प्रशासनिक सं. सं.
 हुआ है. प्रस्तादी

नाम: सं. 326 - वि. वि. 18/02/2011 -
 व्यापक. आदेश सं. सं. 18/0, 02 है. प्रति
 महिमा पत्र नाम विद्यालय के नाम में दर्ज
 हुआ है. प्रस्तादी
 नाम: सं. 338 - वि. वि. 19/01/2012 -
 अनुसंधान सं. सं. 43/1, 0, 13 है. प्रति अनुसंधान
 प्रति अनुसंधान सं. सं. 43/1, 0, 13 है. प्रति अनुसंधान
 के नाम में दर्ज हुआ है. प्रस्तादी

नाम: सं. 339 - वि. वि. 19/01/2012 -

अधीन नाम :- जोधपुर
 पदवार संख्या :- 2017-2070
 दिनांक :- 01/12/2015

पदवार संख्या :- 2067
 दिनांक :- 01/12/2015

पदवार संख्या :- 2067
 दिनांक :- 01/12/2015

क्र.सं.	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्ति का प्रकार	व्यक्तिगत विवरण									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

आदेशक संख्या 200/0.20 के अंतर्गत
 गणतंत्रिय प्रणाली के अंतर्गत
 आदेशक संख्या 2067 के अंतर्गत
 आदेशक संख्या 2067 के अंतर्गत

कुल अंकांक : 1
 कुल अंकांक : 4.6500
 कुल अंकांक : 4.6500

कुल अंकांक : 1
 कुल अंकांक : 4.6500
 कुल अंकांक : 4.6500

उक्त अंकांक केवल सरकारी कार्य हेतु नियुक्त अर्थात् की गई है।
 प्रमाणित किया जाता है कि इन प्रतिलिपि में दिनांक 20/04/2013 तक के सम्पूर्ण परिवर्तन समाविष्ट कर दिए गए हैं।
 प्रतिलिपि क्रमांक:- 2601819-16120
 प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक- 01/12/2015

मुख्य प्रतिलिपि
 अधिवक्ता का कार्यालय
 राजस्थान सरकार
 जयपुर
 दिनांक 01/12/2015


NA अंकीना मातृचित्र
कथन

85

राज - जोधपुरा
तहसील - लाडपुरा
जिला - क्षेत्र
(राजस्थान)

सन् = १९६८-६९

पैसादा = १ हेक्टेरमीटर
= ४० मीटर



राजभाषी हितसिद्धि कार्य

परमपरिचित

२-१३-१५
पटवार
पटवार मण्डल
तह. लाडपुरा जिला क्षेत्र

खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम तहसील जिला राजस्थान सम्बत् 20 से 20 तक

जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियाँ


संवत् 20 69 की गिरदावरी के अनुसार प्रविष्टियाँ

नाम सहित खेत का नम्बर	क्षेत्रफल	भूमि की किरम	जमाबन्दी की संख्या	प्रविष्टियों सहित खातेदार / गैर खातेदार का नाम	उप-काश्तकार का नाम या उसके पिता का नाम, जाति, निवास और खेती करने की शर्तें	सिंचाई स्त्रोत तरीके सहित	क्षेत्रफल सहित फसलों का ब्यौरा		रबी (उन्हावार)		एक के अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल		न जोते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा	टिप्पणियाँ तथा अधिकारों कब्जों, लगान तथा राजस्व आदि में परिवर्तन		
							फसल का नाम	असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	4.65	रुपय	1	श्रीधर चण्ड	श्रीधर चण्ड	श्रीधर चण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8 कौट 0.94 रुपय 4.41	-


 पटवार प्रमोद शर्मा
 तह. लाडपुरा जिला कोटा

खसरा निरदावरी (चतुर्वर्षीय) गांव जिल्हा तहसील तालुका जिला राजस्थान सन्वत् 20 से 20 तक

संवत् 20.7. के अनुसार प्रविष्टियाँ				संवत् 20.7.1. के अनुसार प्रविष्टियाँ				संवत् 20.7.2. के अनुसार प्रविष्टियाँ					
क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा		एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल		क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा		एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल		क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा		एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल		क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा	
संक्रिय स्थान	रबी (उत्पाद)	संक्रिय स्थान	रबी (उत्पाद)	संक्रिय स्थान	रबी (उत्पाद)	संक्रिय स्थान	रबी (उत्पाद)	संक्रिय स्थान	रबी (उत्पाद)	संक्रिय स्थान	रबी (उत्पाद)	संक्रिय स्थान	रबी (उत्पाद)
फसल का नाम	संक्रिय	फसल का नाम	संक्रिय	फसल का नाम	संक्रिय	फसल का नाम	संक्रिय	फसल का नाम	संक्रिय	फसल का नाम	संक्रिय	फसल का नाम	संक्रिय
18	संक्रिय	19	असंक्रिय	20	संक्रिय	21	असंक्रिय	22	संक्रिय	23	असंक्रिय	24	संक्रिय
25	असंक्रिय	26	न जाते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा	27	टिप्पणियाँ तथा अधिकारों, कब्जे, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन	28	फसल का नाम	29	संक्रिय	30	असंक्रिय	31	फसल का नाम
32	संक्रिय	33	असंक्रिय	34	संक्रिय	35	असंक्रिय	36	न जाते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा	37	टिप्पणियाँ तथा अधिकारों, कब्जे, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन	38	फसल का नाम
39	संक्रिय	40	असंक्रिय	41	फसल का नाम	42	संक्रिय	43	असंक्रिय	44	संक्रिय	45	असंक्रिय
46	न जाते गये क्षेत्रफल का ब्यौरा	47	टिप्पणियाँ तथा अधिकारों, कब्जे, किराये तथा राजस्व आदि में परिवर्तन	48	टिप्पणियाँ								


 खसरा मण्डल
 नई तालुका जिला बांस